



2026:AHC:14907

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44329 / 2025

राजू

....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: रुद्र प्रताप पांडेय

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री रुद्र प्रताप पांडेय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक राजू की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 254 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 178, 179, 180 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/4/25, थाना सैफई, जनपद इटावा में, अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है, उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 21.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में आरोप पत्र (चार्जशीट) दिनांक 17.12.2025 को दाखिल किया जा चुका है। उसके विरुद्ध 03 आपराधिक प्रकरण हैं, जिनका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से पलायन करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथमदृष्टया स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तथापि वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक राजू, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, उसे व्यक्तिगत मुचलका तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण (ट्रायल) में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न प्रदान की जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)